संख्या–115/2020/2137/26–3–2020–4(215)/90 टी.सी.।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2020

विषयः **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2020–21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9–10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–1237/स0क0/शिक्षा–अ/7/28/2020–21, दिनांक–21.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2020–21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9–10 कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या–83/2020/1333/26–3–2020–4(215)/90टी0सी0–III,दिनांक–15–06–2020 द्वारा निर्गत समय–सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

मास्टर डाटा के सम्बन्ध में

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की निर्धारित समयावधि कक्षा 9–10 हेतु	कार्यवाही की संशोधित समयावधि कक्षा 9–10 हेतु
	मास्टर डाटा के सम्बन्ध में		
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	06 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2020 तक	30 सितम्बर 2020 तक।
2	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों में स्वीकृत सीटो की संख्या की प्रमाणिकता को शत–प्रतिशत ऑनलाईन सत्यापित करना।	31 जुलाई 2020 से 28 अगस्त 2020 तक।	30 अक्टूबर 2020 तक
	आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में		
3	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन छात्र–छात्राओं हेतु 24 जुलाई से 12 अक्टूबर 2020 तक अनवरत जारी रहेगा।)	24 जुलाई से 20 अगस्त 2020 तक	24 जुलाई से 11 सितम्बर 2020 तक
4	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन

D.P Dwivedi New g.o

	सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	कार्य दिवसों में।
5	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 26 अगस्त 2020 तक।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 14 सितम्बर 2020 तक
6	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना। (नोटः–25 जुलाई से 17 सितम्बर 2020 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्रों को ही 02 अक्टूबर 2020 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जायेगा।)	25 जुलाई से तक 31 अगस्त 2020 तक।	25 जुलाई से 17 सितम्बर 2020 तक
7	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण विद्यालय द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	01 सितम्बर से 17 नवम्बर 2020 तक	17 सितम्बर से 17 नवम्बर 2020 तक
8	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9–10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	07 सितम्बर 2020 तक	21 सितम्बर 2020 तक
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	01 सितम्बर से 10 सितम्बर 2020 तक	18 सितम्बर से 22 सितम्बर 2020 तक
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	11 सितम्बर से 25 सितम्बर 2020 तक	23 सितम्बर से 29 सितम्बर 2020 तक
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal)के सही छात्रों का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	28 सितम्बर 2020 तक	30 सितम्बर 2020
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्रों को कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	30 सितम्बर 2020 तक	01 अक्टूबर 2020
13	प्रत्येक जनपद में 5 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण–पत्र वितरण करना	02 अक्टूबर 2020 तक	02 अक्टूबर 2020 तक

नोटः–

1– पूर्व समय–सारिणी के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 15 जून, 2020 के अन्य प्राविधान पूर्ववत लागू रहेंगे।

2– छात्र/छात्रा के आधार प्रमाणीकरण एवं आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 को अंकित करने पर ही आवेदन टेम्परेरी लॉक किया जा सकेगा।

3— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020–21 में पूर्वदशम योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0सं0— 115/2020/2137 (1)/26—3—2020 तद्दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8— निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार तिवारी)
उप सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक— C 1496/स0क0/शिक्षा—अ/7/28/2020—21

लखनऊ, दिनांकः 11 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग—3।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय—सारिणी के शासनादेश दिनांक 10.09.2020 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने करने के साथ—साथ तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
6. वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
7. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश दिनांक 10.09.2020 द्वारा जारी समय—सारिणी का संबंधित विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेन्सी, समस्त शिक्षण संस्थाओं/छात्रों को व्यापक प्रचार—प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक

D.P Dwivedi New g.o